

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक/पाली/.....154...../2009-10-.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि रेगोर स्कूल की शिक्षण


संस्था त जोगिकनगर के उ सो अत बगद जिला-पाली का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज

दिनांक बैठार माह फरवरी सन् दो हजार दस को

पाली में दिया गया।


रजिस्टार संस्थारे
रजिस्टार संस्थाए, पाली
पाली-भरवाड़ (राज.)

